

हिमाचल प्रदेश सरकार  
परिवहन विभाग

संख्या: टीपीटी -बी (2)-6/2018 तारीख शिमला -171002,

2-11- 2021

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में मोटरयान निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध- 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।	1	(1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, मोटरयान निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2021 है।
		(2)	ये नियम राजपत्र (ई- गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
निरसन और व्यावृत्तियां।	2	(1)	इस विभाग की अधिसूचना संख्या: टी पी टी -बी(2)-4/94 भाग- 7 तारीख 18-07-2007, द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, मोटर यान निरीक्षक, वर्ग-III, (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम,2007 का एतद द्वारा निरसन किया जाता है।
		(2)	ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1)के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्य सचिव(परिवहन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

उपाबन्ध-“क”

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में मोटरयान निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1	पद का नाम:	मोटरयान निरीक्षक
2	पद (पदों) की संख्या:	14 (चौदह)
3	वर्गीकरण:	वर्ग-III (अराजपत्रित)
4	वेतनमान:	(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड: ₹ 10300-34800+ ₹3600 ग्रेड पे (ii) ₹ 10300-34800+ ₹3800 ग्रेड पे दो साल की नियमित सेवा के पश्चात दिया जाएगा। (iii) संविधा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियां: स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹13900/- प्रतिमास।
5	चयन पद अथवा अचयन पद:	लागू नहीं।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु:	18 से 45 वर्ष:

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, ऐसी रियायत तथापि, पब्लिक सेक्टर, निगमों/ स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।

**टिप्पण:** सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:	<p>(क) अनिवार्य अर्हता(एं):</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और;</p> <p>(ii) एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित/मान्यता प्राप्त किसी संस्थान/विश्वविद्यालय से आटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय नियमित पूर्णकालिक डिप्लोमा अवश्य रखता हो; और</p> <p>(iii) गियर वाले मोटर साइकिल और हलके मोटर यान को चलाने हेतु अधिकृत विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो।</p> <p>(ख) वांछनीय अर्हता(एं):</p> <p>(i) ऐसी विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो जो उसे भारी माल यान और भारी यात्री मोटर यान को चलाने के लिए अधिकृत करती हो।</p> <p>(ii) हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।</p>
---	---	---

8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं:	आयु : लागू नहीं। शैक्षिक अर्हता(एं): लागू नहीं।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें। (ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
10	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या <a href="#">प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण</a> द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:	शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11	<a href="#">प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण</a> द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे <a href="#">प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण</a> किया जाएगा:	लागू नहीं
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना:	विभागीय प्रोन्नति समिति : लागू नहीं विभागीय स्थायीकरण समिति : जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा:	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मुल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती <a href="#">अभिकरण/प्राधिकरण</a> ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मुल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/अन्य भर्ती <a href="#">अभिकरण/प्राधिकरण</a> द्वारा अवधारित किया जाएगा।
----	--	--

### 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी।

#### (I) संकल्पना

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में मोटरयान निरीक्षक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर [विस्तारण/नवीकरण](#) के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:

निदेशक (परिवहन) रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियाँ:

संविदा के आधार पर नियुक्त मोटरयान निरीक्षक को ₹ 13900/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चातवर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 417/- की रकम (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी:

निदेशक (परिवहन), हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया:

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मुल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मुल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) या व्यवहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर अन्य भर्ती [अभिकरण/प्राधिकरण](#) द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

(VI) करार:

अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-11 के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें:

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 13900/-की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹417/- (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन के प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत

अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत होगा।

(ड.) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है, तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0 एस0आर0 छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ- साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।



16	आरक्षण:	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अध्वधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा	लागू नहीं।
18	शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

\*\*\*\*\*

परिशिष्ट-I

1.	<p style="text-align: center;"><b>लिखित परीक्षा</b></p> <p>{लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है। उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे}।</p>	85 अंक
2.	<p>अभ्यर्थी का मूल्यांकन निम्नलिखित रीति में किया जाना है:-</p> <p>i) भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। =2.5 अंक {शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ, किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 1.25 अंक (50x0.025=1.25) अनुज्ञात किए जाएंगे}।</p> <p>ii) यथास्थिति, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित। =01 अंक</p> <p>iii) भूमिहीन कुटुम्ब/ एक हेक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। =01 अंक</p> <p>iv) इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा में नहीं है। =01 अंक</p> <p>v) 40 प्रतिशत विकृति/निःशक्तता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन। =01 अंक</p> <p>vi) एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण-पत्र धारक/ भारत स्काउट और गाइड/ राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता। =01 अंक</p> <p>vii) सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000/- रूपए से कम (समस्त स्रोतों से) वार्षिक आय वाला बीपीएल कुटुम्ब। =02 अंक</p> <p>viii) विधवा/ तलाक शूदा/अकिंचन/एकल महिला। =01 अंक</p> <p>ix) इकलौती पुत्री/अनाथ =01 अंक</p> <p>x) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से आवेदित पद से सम्बन्धित कम से कम छह मास की अवधि का प्रशिक्षण। =01 अंक</p> <p>xi) सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए वर्ष के लिए 0.5 अंक) =2.5 अंक</p>	15 अंक

मोटरयान निरीक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक परिवहन के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप ।

यह करार श्री / श्रीमति ..... पुत्र / पुत्री श्री ..... निवासी ....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य निदेशक परिवहन (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ..... को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने **मोटरयान निरीक्षक** के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार **मोटरयान निरीक्षक** के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और ..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् ..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम रू0 13900/- प्रतिमास होगी ।
3. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो

जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन के प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी / आरोग्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है, तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर

जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी. एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में :-

1 .....

.....

.....  
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार का नाम)

2 .....

.....

.....  
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार का नाम )

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT NOTIFICATION NO. TPT-B(2)-6/2018 DATED 2-11-2021 AS REQUIRED UNDER ARTICLE 348(3) OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
DEPARTMENT OF TRANSPORT**

**No. TPT-B(2)-6/2018 dated Shimla-171002, the**

**2-11-2021.**

**NOTIFICATION**

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Motor Vehicle Inspector, Class-III (Non-Gazetted) in the Transport Department, Himachal Pradesh, as per Annexure-“A” attached to this notification, namely:-

<b>Short title and commencement.</b>	<b>1</b>	(1)	These rules may be called the Himachal Pradesh, Transport Department, Motor Vehicle Inspector, Class-III(Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2021.
		(2)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh.
<b>Repeal and savings.</b>	<b>2</b>	(1)	The Himachal Pradesh, Transport Department, Motor Vehicle Inspector Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2006 notified vide this Department Notification No.TPT-B(2)4/94-Vol-7, dated 18-07-2007 are hereby repealed.
		(2)	Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule 2(1) supra shall be deemed to have been validly made, or done or taken under these rules.

By order,

Additional Chief Secretary (Transport) to the  
Government of Himachal Pradesh

**Annexure-A****RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF  
MOTOR VEHICLE INSPECTOR, CLASS-III (NON-GAZETTED) IN THE  
DEPARTMENT OF TRANSPORT, HIMACHAL PRADESH**

1	Name of Post	Motor Vehicle Inspector
2	Number of Post(s)	14 (Fourteen)
3	Classification	Class-III (Non-Gazetted)
4	Scale of Pay	(i) <u>Pay band for regular incumbent(s):</u> ₹ 10300-34800+ ₹3600/- Grade Pay (ii) ₹ 10300-34800+ ₹3800/- Grade Pay will be given after 2 years of regular service. (iii) Emoluments for Contract employee(s): ₹ 13900/- P.M. as per details given in Column No. 15-A.
5	Whether "Selection" Post or "Non-Selection" post;	Not applicable
6	Age for direct recruitment	Between 18 to 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis has become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servant before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such

Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

**Note:** Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7	Minimum Educational and other qualification required for direct recruit(s):	<p>a) Essential Qualification (s):</p> <p>(i) 10<sup>th</sup> standard pass from a recognised Board; and</p> <p>(ii) Must possess three years regular Full time Diploma in Automobile Engineering Or Mechanical Engineering from an Institution/University duly approved/recognized by the AICTE/UGC; and</p> <p>(iii) Holding a valid driving license authorising to drive motor cycle with gear and light motor vehicles.</p> <p>b) Desirable Qualification(s):</p> <p>(i) Holding a valid driving license authorising him to drive heavy goods vehicle and heavy passenger motor vehicle.</p> <p>(ii) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.</p>
8	Whether age and educational Qualification prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s):	<p>Age : Not Applicable</p> <p>Education Qualification(s): Not applicable</p>
9	Period of Probation, if any:	(a) Two years subject to such further



		<p>extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.</p> <p>(b) No probation in case of appointment on contract basis.</p>
10	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment /transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11	In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade (s) from which promotion/ secondment/ transfer is to be made:	Not applicable
12	If a Department Promotion Committee exists, what is its composition:	<p>a) <b><u>Departmental Promotion Committee:</u></b> Not applicable</p> <p>b) <b><u>Departmental Confirmation Committee:</u></b> As may be constituted by the Government from time to time.</p>
13	Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment:	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment:	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15	Selection for appointment to the post by direct recruitment:	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other

		<p>recruiting agency/authority, as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in Appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Himachal Pradesh Public Service Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.</p>
--	--	--

**15-A Selection for appointment to the post by contract appointment:**

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

**(I) CONCEPT:**

- (a) Under this policy the Motor Vehicle Inspector in Department of Transport, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC:

The Director (Transport) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

**(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:**

The Motor Vehicle Inspector appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.13,900/- P.M (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 417/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual

increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

**(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY**

The Director (Transport), Himachal Pradesh will be the appointing/disciplinary authority.

**(IV) SELECTION PROCESS:**

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment shall be made on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in **Appendix-I** appended to these rules, or if considered necessary or expedient on the basis of merit of written examination followed by evaluation as specified in appendix-I appended to these rules, preceded by a screening test (objective type) or practical test or skill test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission/ Himachal Pradesh Staff Selection Commission Hamirpur/other recruiting agency/authority, as the case may be.

**(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:**

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, from time to time.

**(VI) AGREEMENT:-**

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Appendix-II appended to these rules.

**(VII) TERMS AND CONDITIONS:**

(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.13,900/- P.M(which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 417/- (3% of minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b) The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.”

- (c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service, 10 day's medical leave and 5 days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days . A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imburement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidate who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared

temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.”

- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable.

16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental Examination	Not applicable
18	Power to Relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the Provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

\*\*\*\*\*

**APPENDIX-I**

<b>APPENDIX-I</b>		
1.	<b>WRITTEN TEST</b> {Percentage of marks obtained in written examination to be calculated out of 85 marks. For example, a candidate getting 50% marks in written examination will be given 42.5 marks}.	85 marks
2.	Evaluation of candidate to be made in the following manner:-  i) Weightage for the minimum educational qualification, prescribed in the Recruitment & Promotion Rules. =2.5 Marks {Percentage of marks obtained in the educational qualification would be multiplied by 0.025. For example, an individual has secured 50% marks in the required educational qualification, he/she will be allowed 1.25 marks (50x0.025=1.25)}  ii) Belonging to notified Backward Area or Panchayat, as the case may be. =01 Mark  iii) Land less family/family having land less than 1 Hectare to be certified by the concerned Revenue Authority. =01 Mark  iv) Non-employment Certificate to the effect that none of the family members is in Government/ Semi-Government service. =01 Mark  v) Differently abled persons with more than 40% impairment/disability/infirmity. =01 Mark  vi) NSS (atleast one year)/certificate holders in NCC/The Bharat Scout and Guide/Medal winner in National Level sports competitions. =01 Mark  vii) BPL family having annual income (from all sources) below ₹40,000/- or as prescribed by the Govt. from time to time. =02 Mark  viii) Widow/divorced/destitute/single woman. =01 Mark  ix) Single daughter/Orphan =01 Mark  x) Training of atleast 6 months duration related to the post applied for from a recognized University/Institution. = 01 Mark  xi) Experience upto a maximum of 5 years in Govt./Semi-Govt. Organization relating to the post applied for (0.5 marks only for each completed year) =2.5 Mark	15 marks

\*\*\*\*\*

## Appendix-II

### **Form of contract/agreement to be executed between the Motor Vehicle Inspector Class-III (Non Gazetted) and the Government of Himachal Pradesh through Director Transport, HP.**

This agreement is made on this \_\_\_\_\_ day of year \_\_\_\_\_ between Sh./Smt. \_\_\_\_\_ S/o/D/o \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through \_\_\_\_\_ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in- after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Motor Vehicle Inspector for a period of one year commencing on day of \_\_\_\_\_ and ending on the day of \_\_\_\_\_. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the \_\_\_\_\_ FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on \_\_\_\_\_ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.13,900/- per month.
3. The service of contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the Appointing Authority, he/she may prefer an appeal before the Appellate Authority who shall be higher in rank to the Appointing Authority, with in a period of 45 days, from the date on which a copy of termination orders is delivered to him/her.”
4. The contract appointee will be entitled for one day’s casual leave after putting one month’s service, 10 day’s medical leave and 5

days' special leave, in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical re-imbusement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by a Medical Board in the case of a Gazetted Government servant and by Government Medical Officer in the case of a Non-Gazetted Government servant. In case of women candidate who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties, and in case they have to complete a period of training as a condition of service, such they have to complete a period of training as a condition of service, such woman candidate, who as a result of tests is found to be pregnant of twelve weeks' standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such woman candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement, and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the



authority as specified above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Name and Full Address)  
(Signature of the FIRST PARTY)

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Name and Full Address)  
(Signature of the SECOND PARTY)

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_